

कार्यालय

पुलिस

अधीक्षक

बांदा

❖ अवैध शराब का निष्कर्षण व बिक्री करने वाले अभियुक्त को थाना बदौसा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब महुआ तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद ।

विवरण-पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा लोकसभा चुनाव व त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री करने वाले अभियुक्तों पर कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.04.2024 को थाना बदौसा पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम महुरायी अंश दुबरिया थाना बदौसा में एक व्यक्ति अवैध कच्ची शराब को परिष्करण व बिक्री करता है । सूचना पर पुलिस द्वारा छापामारी कर अभियुक्त के कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब महुआ तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद किया गया ।

बरामदगी-

- 30 लीटर अवैध कच्ची शराब महुआ
- शराब बनाने के उपकरण ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.पवन कुमार पुत्र रामभवन पटेल नि0 ग्राम महुरायी अंश दुबरिया थाना बदौसा जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 48/24 धारा 60(2) आब0अधि0 थाना गिरवां जनपद बांदा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री रामनारायण सरोज
2. कां0 नितिन कुमार